न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 51/2019
प्रविष्टि दिनांक — 18-7-2019

मस्तराम उर्फ रामअवतार पुत्र लदूर मीणा निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

वनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेसपोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — **दिनांक 24-3-2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 504/26 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम कोटड़ी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 3000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए जमन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने विना एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये विना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलाण्ट की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर दुकानें बनी हुई है। अपीलान्ट के दुकानों में विजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट इन भूमि में बनी हुई दुकानों में अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पास व्यवसाय करने [illegible] कोई दुकानें नहीं है। खसरा नम्बर काफी बड़ा है जिस में कई [illegible] हुई है ओर आबादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दु[illegible] अपीलान्ट के विरूद्व कब्जे बावत गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:17:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाऐं क्रमशः बेदखल करने पेन्ल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की चस्पान्दगी से तामिल हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट दुंकानों का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। किन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाकर चस्पान्दगी से करवाई गई है तथा चस्पान्दगी के समय नियमानुसार दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हें। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20-6-2019 अपास्त किया जाता है एंव नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:17:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner